

सामाजिक विज्ञान

# सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन - III

कक्षा 8 के लिए पाठ्यपुस्तक



0861



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्  
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

# 0861 – सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन-III

कक्षा 8 के लिए पुनर्सेयोजित पाठ्यपुस्तक

ISBN 978-81-7450-833-1

## प्रथम संस्करण

अप्रैल 2008 वैशाख 1930

## पुनर्मुद्रण

जनवरी 2009, जनवरी 2010, जनवरी 2011

जनवरी 2012, मार्च 2013, जनवरी 2014

दिसंबर 2014, जनवरी 2016, जनवरी 2017

जनवरी 2018, दिसंबर 2018, जनवरी 2020

जुलाई 2021, नवंबर 2021

## संशोधित संस्करण

दिसंबर 2022 अग्रहायण 1944

## पुनर्मुद्रण

मार्च 2024, चैत्र 1946

PD 40T SU

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2008, 2024

₹ 65.00

एन.सी.ई.आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस.एम. पेपर पर  
मुद्रित।

प्रकाशन प्रभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और  
प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नवी दिल्ली 110 016  
द्वारा प्रकाशित तथा बेरी आर्ट प्रैस, ए-9, मायापुरी इंडस्ट्रियल  
एरिया फेज-1, नवी दिल्ली - 110 064 द्वारा मुद्रित।

## सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटोप्रिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से युः प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रयोग कर्जित है।
- इस पुस्तक की विक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्ड के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पुष्ट पर मुद्रित है। खबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

## एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस

श्री अरविंद मार्ग

नवी दिल्ली 110 016

फोन : 011-26562708

108, 100 फौट रोड

हेली एक्सटेंशन, होस्टेक्सेरे

बनाशंकरी III स्टेज

बैंगलुरु 560 085

फोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन

डाकघर नवजीवन

अहमदाबाद 380 014

फोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस

निकट: धनकल बस स्टॉप पनिहाटी

कोलकाता 700 114

फोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स

मालीगांव

गुवाहाटी 781021

फोन : 0361-2674869

## प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : अनूप कुमार राजपूत

मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल

मुख्य उत्पादन अधिकारी : अरुण चितकारा

मुख्य व्यापार प्रबंधक (प्रभारी) : अमिताभ कुमार

सहायक संपादक : एम. लाल

सहायक उत्पादन अधिकारी : दीपक जैसवाल

आवरण सम्पादक : चित्र

फात्मा नासिर सीएमएसी

दिपांकर भट्टाचार्य

## आमुख

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे।

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाए तो बच्चे बड़े द्वारा सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों व स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जना और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें।

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक ज़िंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। दैनिक समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेंगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, छोटे समूहों में विचार-विमर्श और ऐसी गतिविधियों का प्राथमिकता देती है जिन्हें करने के लिए व्यावहारिक अनुभवों की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्यपुस्तक विकास समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्, सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन, पाठ्यपुस्तक समिति की मुख्य सलाहकार शारदा बालगोपालन और सलाहकार दिप्ता भोग की विशेष आभारी हैं। इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया; इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफेसर मृणाल मीरी एवं प्रोफेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों व सुझावों का स्वागत करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके।

निदेशक

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान  
और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली  
30 नवंबर 2007

not to be republished  
© NCERT

## पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन

कोविड-19 महामारी को देखते हुए, विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नज़रिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर ज़ोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सभी कक्षाओं में पाठ्यपुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में रा.शै.अ.प्र.प. द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावार सीखने के प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है।

पाठ्य सामग्रियों के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है —

- एक ही कक्षा में अलग-अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना;
- एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचली कक्षा या ऊपर की कक्षा में समान पाठ्य सामग्री का होना;
- कठिनाई स्तर;
- विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना, वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हों;
- वर्तमान संदर्भ में अप्रासाधिक सामग्री का होना।

वर्तमान संस्करण, ऊपर दिए गए परिवर्तनों को शामिल करते हुए तैयार किया गया पुनर्संयोजित संस्करण है।

not to be republished  
© NCERT

# पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति

हरि वासुदेवन, प्रोफेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता

## मुख्य सलाहकार

शारदा बालगोपालन, सेंटर फ़ॉर दि स्टडी ऑफ डिवेलपिंग सोसायटीज़ (सीएसडीएस), राजपुर रोड, दिल्ली

## सलाहकार

दिप्ता भोग, निरंतर - जेंडर एवं शिक्षा संदर्भ समूह, नयी दिल्ली

## सदस्य

अरविंद सरदाना, एकलव्य - शैक्षिक शोध एवं नवाचार संस्थान, देवास, मध्य प्रदेश

अषिता रवींद्रन, प्रवक्ता, सा.वि.मा.शि.वि., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

कृष्ण मेनन, रीडर, लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

कृष्ण नंद पांडेय, अध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खोप्री, ज़िला बिलासपुर, छत्तीसगढ़

भावना मुलानी, अध्यापिका, शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल, इंदौर, मध्य प्रदेश

मालिनी घोष, निरंतर - जेंडर एवं शिक्षा संदर्भ समूह, नयी दिल्ली

राजीव भार्गव, सीनियर फ़ेलो, सेंटर फ़ॉर दि स्टडी ऑफ डिवेलपिंग सोसायटीज़ (सीएसडीएस), दिल्ली

राम मूर्ति, अध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दीपसिंहवाला, ज़िला फरीदकोट, पंजाब

लतिका गुप्ता, परामर्शदाता, प्रा.शि.वि., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

वी. गीता, संपादक, तारा पब्लिशिंग, चेन्नई, तमில்நாடு

वृंदा ग्रोवर, एडवोकेट, नयी दिल्ली

सुकन्या बोस, एकलव्य रिसर्च फ़ेलो, नयी दिल्ली

## हिंदी अनुवाद

योगेन्द्र दत्त, स्वतंत्र अनुवादक एवं संपादक, दिल्ली

## सदस्य-समन्वयक

मल्ला वी.एस.वी. प्रसाद, प्रवक्ता, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

## आभार

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) उन सभी संस्थानों और व्यक्तियों के प्रति आभार प्रकट करता है जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को तैयार करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद दी है।

आदित्य निगम, एलेक्स जॉर्ज, अवधेन्द्र शरण, अजरा रज्जाक, फ़राह नक़बी, काई फ्रीज़, कौशिक घोष, कुमकुम रॉय, एम. वी. श्रीनिवासन, राधिका सिंघा, राणा बहल एवं योगेंद्र यादव ने इस किताब में उठाए गए कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण राय दी। हम उनके कृतज्ञ हैं।

पूर्वा भारद्वाज ने इस पुस्तक का संपादन किया है। यह उन्होंने जितने धैर्य और लगन से किया है, उसको व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं हैं। उन्होंने इस बात कि कोई कसर नहीं छोड़ी कि किताब की भाषा आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के अनुरूप हो। इस काम में उन्हें निरंतर की अपनी सहयोगियों – जया शर्मा, शालिनी जोशी, निधि गौड़, हुमा ख़ान और मिलानी भेंगरा – से भी लगातार मदद मिली। इन सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद।

चित्रकथा-पट्ट के बारे में सलाह और सुझाव देने के लिए हम ऑर्जीत सेन को खासतौर से धन्यवाद देते हैं। घरेलू हिंसा विधेयक पर बनाए गए चित्रकथा-पट्ट में मदद देने के लिए लॉर्यर्स कलेक्टर के सदस्यों का भी धन्यवाद।

परिषद् निम्नलिखित संस्थानों के योगदान को स्वीकार करती है और उनकी सराहना करती है—लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फ़ोटो डिवीजन, चुनाव आयोग, नैशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, दि हिंदुस्तान टाइम्स, आउटलुक, डाउन टू अर्थ और इन सभी संस्थानों के कर्मचारियों का धन्यवाद। हम उपभोक्ता मामले मंत्रालय को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रतीक चिन्ह एवं नाम (अनुचित प्रयोग निषेध) अधिनियम, 1950 के अंतर्गत संसद और न्यायपालिका की तस्वीरों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। हम सतत विकास लक्ष्यों के बारे में सामग्री के लिए यूएनडीपी इंडिया को भी धन्यवाद देते हैं।

चित्रों और पोस्टरों के लिए हम निम्नलिखित के आभारी हैं—भोपाल से संबंधित तस्वीरों के लिए शीबा छाछी तथा संभावना ट्रस्ट और मॉडे डोर, शालिनी शर्मा, रेयान बोदन्यई एवं जॉय अथिली; ग्रीनपीस, खासतौर से जयश्री नंदी; भोजन अधिकार अभियान के सदस्य। हम संदीप शास्त्री (दि हिंदुस्तान टाइम्स) तथा भगवती (सराय) की सेवाओं के लिए उनके भी आभारी हैं। श्रबणी रॉय ने इस किताब की रूप-सज्जा पर गहरे समर्पण और कुशलता से काम किया है। हर मोड़ पर उन्होंने जितना धैर्य और उत्साह दिखाया, वह काबिले तारीफ है।

सृजन स्कूल, दिल्ली और सर्वोदय कन्या विद्यालय, दिल्ली के कई विद्यार्थियों ने धर्मिक सहिष्णुता के सवाल पर इस किताब के लिए कई तस्वीरें बनाई। हम इन बच्चों और उनकी अध्यापिका नताशा दत्ता व ज्योति सेठी के आभारी हैं। हम फ़राह फ़ारूकी के भी आभारी हैं जिन्होंने अपनी बेटी ऐनी द्वारा लिखित निबंध हमें पढ़वाया और उसे इस किताब में इस्तेमाल करने की इजाजत दी। सरदार पटेल विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा अरुंधति राजेश ने इकाई पाँच के बारे में फ़ीडबैक दी इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है।

विकासशील समाज अध्ययन पीठ (सी.एस.डी.एस.) , एकलव्य और निरंतर ने हमेशा की तरह इस किताब के लिए भी खुले दिल से अपना सहयोग और समर्थन दिया। निरंतर में कार्यरत प्रसन्ना और अनिल की सहायता के लिए हम उनके आभारी हैं।

हम प्रोफ़ेसर सविता सिन्हा, विभागाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग से मिली सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। हम डी.ई.एस.एच. के कर्मचारियों की कोशिशों और समर्पण को आभारपूर्वक स्वीकार करते हैं। हम राकेश कुमार मीणा, नरेश कोहली, एम. सिराज अनवर और रमेश कुमार के आभारी हैं जिन्होंने इस किताब के अनुवाद को बेहतर बनाने में मदद की। सुरेखा लोणारे का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पृष्ठ 96 में दी गई कविता का अनुवाद किया।

इस किताब की रचना में प्रकाशन विभाग की कोशिशों से बहुत फ़ायदा मिला है। उनका धन्यवाद। डीटीपी ऑपरेटर्स उत्तम कुमार, विजय कौशल और नरगिस इस्लाम, कॉपी एडीटर मनोज मोहन का विशेष रूप से धन्यवाद।

परिषद् इस संस्करण के पुनर्संयोजन के लिए पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों एवं विषय सामग्री के विश्लेषण हेतु दिए गए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए एन.सी.ई.आर.टी. के सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों— शंकर शरण, प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.; वंथागपुई सोबंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी.; और कविता जैन, पी.जी.टी., राजनीति विज्ञान, एस.डी. पब्लिक स्कूल; मनीषा पांडेय, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिक विज्ञान विभाग, हिन्दू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, नयी दिल्ली; सुनीता कथूरिया, पी.जी.टी., राजनीतिक विज्ञान, एम.सी.एल. सरस्वती बाल मंदिर, नयी दिल्ली के प्रति आभार व्यक्त करती है।

© NCERT  
not to be republished

not to be republished  
© NCERT

# शिक्षकों के लिए आरंभिक टिप्पणी



सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर यह तीसरी और आखिरी पाठ्यपुस्तक है। इन पुस्तकों में राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र के जिन विषयों को उठाया गया है, उन्हें विद्यार्थी आने वाली कक्षाओं में और विस्तार से पढ़ेंगे। पिछले 2 साल की अपनी 'परिचयात्मक टिप्पणी' में हमने इस बात पर जोर दिया था कि यह नया विषय क्षेत्र किस बारे में है। इस बार की टिप्पणी ज्यादा व्यक्तिगत है। इस दफ़ा हम यह चर्चा करना चाहते हैं कि ये पाठ्यपुस्तकें हमने किस प्रेरणा से लिखी हैं और उनको संप्रेषित करने में शिक्षक-शिक्षिकाओं की कितनी केंद्रीय भूमिका है।

पाठ्यचर्चा में बार-बार होने वाले संशोधनों से शिक्षकों को अकसर बड़ी बेचैनी होती है। इस तरह के संशोधनों में उनकी कोई भूमिका भी नहीं होती, लेकिन शिक्षक ही उनको लागू करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इस तरह के बदलावों के फ़ायदे-नुकसान को लेकर शिक्षक एक तरह की हताशा और व्यर्थता का भाव पाल लेते हैं। कई बार यही बेचैनी शिक्षकों को नए विषय क्षेत्रों को गंभीरता से लेने से भी रोकती है। इसी कारण शिक्षक उन नई शिक्षा पद्धतियों को अपनाने से भी कतराते हैं जिनके आधार पर इन विषयों को रचा जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इन पाठ्यपुस्तकों को बनाने के लिए हमें जिन चीजों ने बाध्य किया है, उनके बारे में समझने के बाद आप भी हमारी इस मान्यता से सहमत होंगे कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के शिक्षाशास्त्रीय उद्देश्यों को साकार करने में आपकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।

तीन साल पहले जब हमने मिडिल स्कूल के स्तर पर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में एक नया विषय क्षेत्र तैयार करने का संकल्प लिया था तो हम यह सोच कर उत्तेजित थे कि हम एक बहुत भारी काम हाथों में लेने जा रहे हैं। यह काम हमें इसलिए भी उत्तेजक लग रहा था कि हममें से कुछ लोग स्कूलों में नागरिक शास्त्र पढ़ा रहे थे। लिहाजा हमें अंदाज़ा था कि यह विषय बच्चों के लिए कितना भारी साबित होगा। हमने नागरिक शास्त्र की पुस्तकों का विश्लेषण करके यह भी पाया था कि वे भारतीय लोकतंत्र की कितनी सीमित समझ पेश करती हैं। हमारी बेचैनी के खासतौर से दो कारण थे : पहला, पुरानी पाठ्यपुस्तकों में ऐसे ठोस उदाहरण नहीं थे जिनके ज़रिए लोगों के जीवन में लोकतंत्र की स्थिति को उजागर किया जा सके। दूसरा, उन किताबों में संस्थानों और प्रक्रियाओं को इस तरह पेश करने की कोशिश की जाती थी मानो वे ठीक उसी तरह काम करते हों जिस तरह संविधान में उन्हें पेश किया गया था।

हममें से कुछ लोग उस शोध परियोजना से भी जुड़े हुए थे जिससे पता चलता था कि सरकारी प्रक्रियाओं, संस्थानों और लोगों के बारे में विद्यार्थी अकसर भ्रमित रहते हैं। उदाहरण के लिए, वे अकसर विधायिका और कार्यपालिका का फ़र्क नहीं समझ पाते थे। शिक्षक के तौर पर आपने खुद भी नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों की

इन खामियों को महसूस किया होगा। एक परेशानी यह थी कि मिडिल स्कूल की पाठ्यचर्या में मौजूदा सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों को जगह नहीं दी जा रही थी। नागरिक शास्त्र की पुस्तकों में सरकार को केंद्र में रखकर इन मुद्दों को उठाने की कोशिश तो की जा रही थी, लेकिन एक नया विषय क्षेत्र गढ़ कर इस केंद्र को विस्तार देने और सरकार की भूमिका को अनदेखा किए बिना उसे ज्यादा आकर्षक ढंग से पढ़ाना भी ज़रूरी था।

हम तीन तरह के सवालों से जूझ रहे थे। पहला सवाल यह था कि विद्यार्थियों को वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक सवालों से कैसे परिचित कराया जाए। इस बारे में चले विचार-विमर्श से कुछ इस तरह के विचार सामने आए : हमें ऐसी विषयवस्तु की ज़रूरत होगी जो विद्यार्थियों के जीवन से जुड़ी हुई हो; विद्यार्थी इस बात को समझते हों कि 'लोकतंत्र' सरकारी संस्थानों के कामकाज तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि बहुत हद तक उसमें आम लोगों की भूमिका पर भी अधिकता होता है; और विषयवस्तु में बदलाव के साथ-साथ शिक्षाशास्त्रीय शैली में भी बदलाव ज़रूरी होगा।

दूसरा सवाल यह था कि नए विषय क्षेत्र के लिए शीर्षकों का चुनाव कैसे किया जाए। यहाँ हमने बहुत सारे नए मुद्दों को खँगाला है। मुद्दों को चुनते हुए इस बात का ख्याल रखा गया है कि वे मिडिल स्कूल के विद्यार्थियों के लिए अनुरूप भी हों और उनमें विश्लेषण भी हो। दुर्भाग्य की बात है कि विद्यार्थी सामाजिक विज्ञान को सामान्य ज्ञान के तथ्यों से भरे पिटारे की तरह देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि इसे केवल रटकर ही सीखा जा सकता है। यह सोच सामाजिक विज्ञान की सही समझ के बिल्कुल विपरीत है। समाज विज्ञान का मकसद तो एक ऐसी दूरबीन मुहैया कराना होता है जिसके ज़रिए हम अपने आसपास की दुनिया का विश्लेषण कर सकते हैं। अब तो सामाजिक मुद्दों के विश्लेषण की इस क्षमता को उन लोगों के लिए भी ज़रूरी और उपयोगी माना जाने लगा है जो विश्वविद्यालयों में 'विज्ञान' पढ़ते हैं। समाज विज्ञान अध्यापकों के रूप में हमें अपने विषय क्षेत्र और इससे विद्यार्थियों को अपनी दुनिया को समझने-बूझने की जो क्षमता मिलती है, उस पर गर्व होना चाहिए।

तीसरा सवाल इस बारे में था कि इस नए विषय क्षेत्र में शिक्षकों की क्या भूमिका रहेगी। यह सवाल शिक्षाशास्त्र के दायरे का था और इस पर हमारे सामने इस तरह के विचार थे : पहला, हम चर्चा में आने वाली अवधारणाओं की परिभाषा देने से बचेंगे। दूसरा, कि चर्चा में उठाए जा रहे मुद्दों को समझने में मदद देने के लिए हम चित्रकथा-पट्ट और कहानियों के साथ-साथ रचनात्मक अभिव्यक्ति के दूसरे रूपों का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, कि अध्याय के दौरान और अध्याय के अंत में हम ऐसे सवाल देंगे जो विद्यार्थियों को विश्लेषण करने में मदद दें। किताब में जिन चित्रों का इस्तेमाल किया गया - चाहे वे चित्रकथा-पट्ट हों, तस्वीरें हों या चित्र निबंध हों - वे विषयवस्तु का अभिन्न अंग हैं और उनके सहारे मुद्दों का और विश्लेषण किया जा सकता है। उन्हें हमने केवल सजावटी साधन के तौर पर नहीं लिया है।

कक्षा के भीतर इतने सारे विचारों को साकार करने के लिए केवल पाठ्यपुस्तकों पर अधिकता नहीं रहा जा सकता था। हम संजीदगी से इस बात को स्वीकार करते हैं कि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विद्यार्थियों के जीवन की विविधता का समावेश करने वाली कोई एक राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक तैयार करना असंभव है। इस विविधता को समेटने के लिए जहाँ तक संभव था हमने विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों को छूने वाली केस स्टडीज़ का चुनाव किया है। दूसरे, चूँकि समकालीन सवालों की चर्चा में हमारे सामाजिक ताने-बाने की बहुत सारी असमानताओं का उघड़ जाना लाज़िमी है, इसलिए कक्षा के भीतर सूचनाओं और दृष्टिकोणों का समावेश भी ज़रूरी था। यह भूमिका शिक्षक से ज्यादा अच्छी तरह भला और कौन निभा सकता है। लिहाज़ा आपकी भूमिका सिफ़्र यह नहीं है कि पाठ्यपुस्तक की विषयवस्तु को बच्चों तक पहुँचा दिया जाए। आपसे यह भी उम्मीद की जाती है कि आप तरह-तरह के स्थानीय उदाहरण उनके सामने रखें और महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्हें खुद विश्लेषण के लिए तैयार करें। ये पाठ्यपुस्तकों पुरानी पुस्तकों से इस मायने में अलग हैं कि इनमें विभिन्न प्रकार की असमानताओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। ये जातीय, धार्मिक एवं लैंगिक असमानताएँ खुद आपकी कक्षा में भी होंगी। इसलिए हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन मुद्दों को जहाँ तक हो, संवेदनशीलता के साथ संबोधित करेंगे।

ब्राजील के महान शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेरे (जिन्होंने रटकर सीखने को बैंक में पैसे जमा करने के समतुल्य बताया था) ने लिखा है कि शिक्षकों को "अपनी शैक्षणिक परिधि (यानी स्कूल) में ही अपने सपनों को जीने" का प्रयास

करना चाहिए। हमें आशा है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की कक्षा शिक्षकों के लिए ऐसी परिधि बन सकती है। इन पाठ्यपुस्तकों में उठाए गए मुद्दे न्याय, समानता और प्रतिष्ठा के लिए लोगों द्वारा किए जा रहे संघर्षों से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमें आशा थी कि इन मुद्दों के साथ शिक्षकों के गहरे जुड़ाव से उन्हें विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दों पर सवाल खड़ा करने के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।

हम इस बात को समझ रहे थे कि विद्यार्थियों को जो आलोचनात्मक दूरबीन थमाने की कोशिश की जा रही है, उसे एक व्यापक दृष्टि के साथ जोड़े बिना बात नहीं बनेगी। भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का सचेत विश्लेषण करने और उसके स्याह यथार्थ के कारण पैदा होने वाली निराशा को दूर करने के लिए यह जरूरी था। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी आलोचनात्मक रूपैया भी रखें और वे उम्मीद का दामन भी न छोड़ें। यह बात आपको अंतर्विरोधी दिखाई दे सकती है, लेकिन हमें यकीन है कि ये दोनों बातें एक-दूसरे के साथ चल सकती हैं। अगर विद्यार्थियों को वास्तविक असमानताओं से परिचित करा दिया जाए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा न हो कि ये हालात किस तरह बेहतर हो सकते हैं तो विद्यार्थी हताश हो जाएँगे। दूसरी तरफ़, बच्चों का उत्साह और आशावाद बनाए रखने के लिए उन्हें सिफ़्र यह पढ़ाते रहना भी गलत होगा कि भारत एक आदर्श लोकतंत्र है क्योंकि बच्चों का दैनिक यथार्थ बार-बार उन्हें एक अलग कहानी सुनाता है।

सौभाग्यवश हमारे देश के पास संविधान के रूप में एक कल्पनाशील दस्तावेज़ भी है और जनसंघर्षों का एक लंबा इतिहास भी। यहाँ हमने इन्हीं दोनों साधनों को जानबूझकर चुना है। इनके सहारे विद्यार्थी आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। यह विश्लेषण उनके लिए एक आशाप्रद और सकारात्मक अनुभव बन सकता है। भारतीय संविधान एक बेहद कल्पनाशील दस्तावेज़ है। अन्याय और उत्पीड़न के मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुत सारे लोगों और सामाजिक आंदोलनों ने इस दस्तावेज़ का बहुत रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया है। हमने संविधान को इस नए विषय क्षेत्र के लिए एक नैतिक धुरी के रूप में इस्तेमाल किया है। दूसरी तरफ़, सामाजिक आंदोलनों के जरिए इस किताब में विद्यार्थियों को यह समझाने का भी प्रयास किया गया है कि संविधान की उपस्थिति मात्र से समानता और सम्मान का आश्वासन नहीं दिया जा सकता। संविधान के आदर्शों को साकार करने के लिए लोगों को लगातार संघर्ष करना होता है।

इस शृंखला की यह आखिरी किताब बनाते हुए हम इस बात से भी अवगत थे कि भविष्य में न केवल इन पाठ्यपुस्तकों में, बल्कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यचर्या में भी बदलाव होते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि उपरोक्त कारणों – कि हमने ये चीज़ें क्यों बनाई और इनसे शिक्षक व विद्यार्थी को क्या हासिल होगा – को आपके सामने रखने पर आप इस विषय क्षेत्र को और गहराई से समझ-बूझ सकेंगे। हम आशा करते हैं कि आप यह समझ पाएँगे कि मिडिल स्कूल के स्तर पर वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों को छूने वाले एकमात्र क्षेत्र के रूप में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन शृंखला आपको यह समझने का एक बढ़िया अवसर मुहैया कराती है कि आपके विद्यार्थियों के जीवन व्यापक सामाजिक मुद्दों से किस तरह बँधे हुए हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए रटन्त पद्धति की जगह बेहतर तरीके अपनाने की ओर बढ़ेंगे। इन पाठ्यपुस्तकों में दी गई जानकारियाँ आपस में गुंथी हुई स्थानीय चिंताओं को सामने रखने और इस पर आधारित विश्लेषण विकसित करने का मौका देती हैं। इसलिए आपको कक्षा के भीतर न केवल उत्साहपूर्ण माहौल बनाए रखना होगा, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अलग-अलग पृष्ठभूमि से आए सभी बच्चों को अपनी बात कहने का मौका मिले और किसी को भी अपमान या छूट जाने का बोध न हो।

एक पाठ्यपुस्तक के जरिए एक नए विषय क्षेत्र को गढ़ना आसान नहीं होता। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन शृंखला में समकालीन सवालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, इसलिए यहाँ विवादों की गुजांश ज्यादा दिखाई देती है। हम इससे बच नहीं सकते। निश्चय ही आपको विविध दृष्टिकोणों की अभिव्यक्ति को नहीं रोकना है। लेकिन यह आपको ही तय करना है कि कौन से विचार सबके लिए न्याय और प्रतिष्ठा के विचार पर आधारित हैं। अगर आपको लगता है कि स्कूल अपने विद्यार्थियों में एक न्यायपूर्ण समाज का बोध पैदा कर सकता है तो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन इस दिशा में आपके लिए एक उपयोगी साधन साबित होगी। हम तहेदिल से उम्मीद करते हैं कि आप हमारी पेशकश को मंजूर करेंगे।

## आठवीं कक्षा की पुस्तक में शामिल किए गए मुद्रे कौन से हैं?

आठवीं कक्षा की पुस्तक कानून और सामाजिक न्याय के शासन पर केंद्रित है। इसकी इकाईयाँ भारतीय संविधान, संसद, न्यायपालिका, सामाजिक हाशियाकरण और आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, इन पाँच शीर्षकों पर केंद्रित हैं। प्रत्येक इकाई में दो अध्याय हैं। इस पुस्तक में विद्यार्थियों को यह पढ़ने का मौका मिलेगा कि कानून क्या है और कानून का शासन क्या होता है। वे यह भी पढ़ेंगे कि अकसर सिफ़र कानून ही काफ़ी नहीं होते, बल्कि अपने मौलिक अधिकारों को साकार करने के लिए लोगों को लंबे समय तक संघर्षों के रास्ते पर चलना पड़ता है। किताब के आखिर में 'एक जीवित आदर्श के रूप में संविधान' पर टिप्पणी दी गई है। यह टिप्पणी इस पुस्तक में उठाए गए मुख्य विचारों को पुनः आपस में जोड़ती है।

**कक्षा 8 की पुस्तक में चुने गए मुद्रों को स्पष्ट करने के लिए इन साधनों का इस्तेमाल किया गया है:**

चित्रकथा पट्ट—हमें जो फ़ीडबैक मिले हैं उनसे पता चलता है कि पिछले साल हमने चित्रकथा-पट्ट का जो तरीका शुरू किया था, वह विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को रास आ रहा है। इस साल भी हमने वास्तविक घटनाओं से प्रेरित, लेकिन काल्पनिक परिस्थितियों को दर्शाने के लिए इस माध्यम का इस्तेमाल किया है। हम आशा करते हैं कि विद्यार्थी इन परिस्थितियों को समझेंगे और इन चित्रकथा-पट्टों में पेश की गई अवधारणाओं और प्रक्रियाओं को और बेहतर ढंग से समझ पाएँगे।




**शब्द संकलन**—सभी अध्यायों में कुछ शब्द मोटे अक्षरों में दिए गए हैं। इनको शब्द संकलन में स्पष्ट किया गया है। जैसा कि पिछले साल बताया गया था, शब्द संकलन में दिए गए शब्दों में आमतौर पर उस अध्याय में आई अवधारणाओं को नहीं रखा गया है। लिहाज़ा परिभाषा जानने के लिए उन्हें न पढ़ें तो बेहतर होगा। ये शब्द तो अध्याय को और अच्छी तरह समझने के लिए दिए गए हैं, न कि किसी चीज़ को रट लेने के लिए।

**शब्द संकलन**

**शिक्षकों के लिए**—पिछले साल की तरह इस साल भी हर इकाई से पहले एक पन्ना शिक्षकों के लिए दिया गया है। इस पन्ने पर अगले अध्यायों में उठायी जा रही मुख्य अवधारणाओं से शिक्षकों को अवगत कराया गया ताकि वे उन्हें और आसानी से पढ़ा सकें।

अध्याय के भीतर और अध्याय के अंत में सवाल-पिछले दोनों साल की किताबों की तरह इस साल की किताब में भी अध्याय के बीच और अंत में सवाल दिए गए हैं। ये सवाल कई तरह के हैं। इनके जारिए बच्चों की तर्क करने, तुलना करने और फ़र्क बूझने, नतीजा निकालने और अनुमान लगाने, विश्लेषण करने और पढ़ने व दृश्य सामग्री बनाने की क्षमताओं को आँकने की कोशिश की गई है। अध्याय के अंत में दिए गए सवाल आमतौर पर अध्याय में उठाए गए अवधारणात्मक बिंदुओं को दोहराने के साथ-साथ इस बात के लिए भी प्रेरित करते हैं कि विद्यार्थी अपनी रचनात्मक क्षमताओं का इस्तेमाल करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि विद्यार्थियों को इन सवालों के जवाब अपने शब्दों में ही देने हैं।

**चित्र निबंध**—पिछले साल की किताब में महिला आंदोलन पर एक चित्र निबंध दिया गया था। इस साल हमने भोपाल गैस त्रासदी पर चित्र निबंध दिया है। चित्र निबंध के ज़रिए विद्यार्थियों को चित्रों की सहायता से एक खास स्थिति को समझने में मदद मिलती है। चित्र निबंध में एक-एक चित्र बहुत सावधानी से चुना गया है जिससे उस मुद्दे के इतिहास के खास क्षणों को सामने लाया जा सके।



लीये ही यह लाइक्स के माध्यम से आए, उन चल को और अपना छह साल है।

प्राचीन वार्ता	प्राचीन वार्ता को संख्या
प्राचीन वार्ता भी (पाठ्य)	2
प्राचीन वार्ता भी (वार्ता)	2
प्राचीन वार्ता भी (वार्ता) (पाठ्य)	22
प्राचीन वार्ता वार्ता	4
प्राचीन वार्ता वार्ता	40
वार्ता	10
वार्ता	3
वार्ता	
दूसरा वार्ता वार्ता	12
दूसरा वार्ता वार्ता	2
दूसरा वार्ता वार्ता	2
दूसरा वार्ता (१)	1
दूसरा वार्ता वार्ता	3
दूसरा वार्ता (१)	2
दूसरा वार्ता	2
दूसरा वार्ता जी जी वार्ता	1
दूसरा वार्ता जी जी	1
दूसरा वार्ता (१)	30
दूसरा	1
दूसरा वार्ता	314




शिक्षकों के लिए

अध्यास

- 

प्राचीन संस्कृत वाक् विशेषज्ञ	प्राचीन संस्कृत वाक् विशेषज्ञ	प्राचीन संस्कृत वाक् विशेषज्ञ
वाक् वाच वाचाना वा वाच वा A?		
वाक् वाच वाचाना वाच वा B?		
वाच वाच वाचाना वाच वा C?		
वाच वाच वाचाना वाच वा D?		
वाच वाच वाच वाच वा E?		
वाच वाच वाचाना वाच वा F?		
वाच वाच वाचाना वाच वा G?		
वाच वाच वाचाना वाच वा H?		
वाच वाच वाचाना वाच वा I?		
वाच वाच वाचाना वाच वा J?		



## भारत का संविधान

### उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक <sup>1</sup>[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,  
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म<sup>2</sup>  
और उपासना की स्वतंत्रता,  
प्रतिष्ठा और अवसर की समता  
प्राप्त कराने के लिए,  
तथा उन सब में  
व्यक्ति की गरिमा और <sup>2</sup>[राष्ट्र की एकता  
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता  
बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख  
26 नवंबर, 1949 ई. को एतद्वारा इस संविधान को  
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3.1.1977 से) “राष्ट्र की एकता” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

## विषय-सूची

---

आमुख	<i>iii</i>
पाठ्यपुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन	<i>v</i>
शिक्षकों के लिए आरंभिक टिप्पणी	<i>xi</i>
<b>इकाई एक भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता</b>	2
अध्याय 1 भारतीय संविधान	4
अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ	18
<b>इकाई दो संसद तथा कानूनों का निर्माण</b>	28
अध्याय 3 संसद तथा कानूनों का निर्माण	30
<b>इकाई तीन न्यायपालिका</b>	46
अध्याय 4 न्यायपालिका	48
<b>इकाई चार सामाजिक न्याय और हाशिये की आवाजें</b>	60
अध्याय 5 हाशियाकरण की समझ	62
अध्याय 6 हाशियाकरण से निपटना	76
<b>इकाई पाँच आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका</b>	86
अध्याय 7 जनसुविधाएँ	88
अध्याय 8 कानून और सामाजिक न्याय	102
<b>संदर्भ</b>	116